

राजस्थान राज-पत्र RAJASTHAN GAZETTE विशेषांक

Extraordinary

साधिकार प्रकाशित Published by Authority

चैत्र 11, शुक्रवार, शाके 1933-अप्रेल 1, 2011 Chaitra 11, Friday, Saka 1933-April 1, 2011

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

उद्योग (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 1, 2011

एस.ओ. 2:-राजस्थान उद्यम एकल खिड्की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 7) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 14 (5) उद्योग/1/2010 दिनांक 25 जनवरी, 2011 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार 1 अप्रैल, 2011 को इसके द्वारा उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको 10 करोड़ रूपये से अधिक के विनिधान के प्रस्ताव के लिए उक्त अधिनियम के उपबन्ध राज्य के समस्त जिलों में प्रवृत्त होंगे।

> [संख्या एफ. 14 (5) उद्योग / 1 / 2011] राज्यपाल के आदेश से, श्याम लाल गुर्जर, शासन उप सचिव।

INDUSTRIES (GR.1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, April 1, 2011

S.O. 2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Act, 2011 (Act No. 7 of 2011), and in supersession of this department's notification number F. 14(5)Udyog/1/2010 dated January 25, 2011 the State Government hereby appoints April 01, 2011 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force in all districts of the State for the proposal of investment above Rs. 10 crores.

> [No. F.14(5)Udyog/1/2010] By Order of the Governor, श्याम लाल गुर्जर Deputy Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.